



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 661) पटना, शुक्रवार, 16 अगस्त 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2013

सं0 15/छोआ-नीति-15/2012-6297—बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (बिहार अधिनियम 6, 1947) की धारा-8 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मिलों को देय नियंत्रित छोआ के मूल्य का समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए बिहार-राज्यपाल छोआ का मूल्य ₹ 187.50 (एक सौ सत्तासी रू0 पचास पैसे) प्रति क्वींटल निर्धारित करते हैं।

2. यह मूल्य अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 661-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>